

अति तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी

भारत सरकार

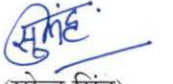
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 24 मार्च, 2022

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में फरवरी, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश
– के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामलों के विभाग के संबंध में फरवरी, 2022 माह के लिए मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त


(सुरेन्द्र सिंह)

निदेशक, भारत सरकार
फोन नं. 2338 43 90

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग
फरवरी, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप

फरवरी, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप।

1. उपभोक्ता संरक्षण

- 1.1 माह के दौरान, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, और मेघालय में ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया गया। इसके साथ ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 29+एनसीडीआरसी हो गई।
- 1.2 17 फरवरी, 2022 को संबंधित मंत्रालयों (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (भ्रामक विज्ञापन निवारण और विज्ञापनों के समर्थन के लिए आवश्यक सावधानी) दिशानिर्देश, 2022 पर प्रस्तुति दी गई ताकि विशेष रूप से दिशानिर्देशों के मसौदे के निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में उनकी टिप्पणियां/राय/सुझाव प्राप्त किए जा सकें।
 - सरोगेट विज्ञापन
 - बच्चों पर लक्षित विज्ञापन
 - निषिद्ध विज्ञापन
- 1.3 संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त होने पर दिशानिर्देशों के मसौदे में कुछ प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया गया। इसलिए दिशानिर्देशों के मसौदे में संशोधन किए गए हैं।
- 1.4 28 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित प्रत्यक्ष बिक्री अधिनियम, 2021 के संबंध में पणधारियों की चिंताओं पर उद्योग संघों के साथ 10 फरवरी, 2022 तक पणधारियों का विचार-विमर्श आयोजित किया गया। इसके बाद स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के साथ दिनांक 21.02.2022 को एक बैठक आयोजित की ताकि इस संबंध में उनकी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त की जा सके।

2. मूल्य निगरानी

मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, सोया तेल, सूरजमुखी के तेल और पॉम ऑयल जैसे खाद्य तेलों का दैनिक थोक और खुदरा मूल्यों की अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य की रिपोर्टिंग दिनांक 23.02.2022 से शुरू की गई।

3. मूल्य स्थिरीकरण कोष

- 3.1 पीएसएस, कृषि और किसान कल्याण विभाग के कैश क्रेडिट अकाउंट में 1581.28 करोड़ रुपये विप्रेषित किए गए ताकि पीएसएस, कृषि और किसान कल्याण विभाग से पीएसएफ, उपभोक्ता मामले विभाग में 3.10 एलएमटी चने का हस्तांतरण किया जा सके।
- 3.2 दिनांक 07.02.2022 को हुई मंत्री समूह की बैठक में लिए गए निर्णय कि “फरवरी, 2022 में लक्षित बिक्री के लिए नेफेड किसानों / एफपीओ से 15,000-20,000 मीट्रिक टन प्याज खरीद सकता है” के अनुसरण में नेफेड ने 6,829.25 मीट्रिक टन के अधिप्रापण, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खपत केंद्रों को 6,793.74 मीट्रिक टन के प्रेषण और दिनांक 09.03.2022 तक 3,275.389 मीट्रिक टन के वास्तविक निपटान की सूचना दी है।

- 3.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित सार्वजनिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य के लिए जनवरी, 2022 की तुलना में फरवरी, 2022 माह के लिए मूल्य के रुझान अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

4. भारतीय मानक ब्यूरो

- 4.1 फरवरी, 2022 माह के दौरान 132 नए मानक तैयार किए गए हैं और 85 मानकों को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नए मानक तैयार करने के लिए 28 प्रस्ताव और मौजूदा मानकों में संशोधन के लिए 62 प्रस्ताव किए गए।
- 4.2 आईएसओ काउंसिल बैठक तथा पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, 14 फरवरी, 2022 को महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो और सीईओ (मानक आस्ट्रेलिया) के बीच एक वर्चुअल बैठक की गई।
- 4.3 भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने 16 फरवरी, 2022 को गुणवत्ता अवसंरचना के संबंध में भारत – जर्मन कार्य समूह की बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया ताकि मानकीकरण में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।
- 4.4 भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को आयोजित दीर्घकालिक विमानन ईंधन पर संयुक्त यूके-भारत कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में यूके सरकार द्वारा पालन किए जा रह नवीकरणीय परिवहन फर्ल दायित्व, अधिदेश, न्यून-कार्बन ईंधन प्रतिस्पर्धा, जेट काउंसिल आदि शामिल थे।
- 4.5 एक भारतीय शिष्टमंडल ने 25 फरवरी, 2022 को आईएसओ/टीसी 98 'बेसेज कार डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स' की 39वीं आम सभा की बैठक में भाग लिया और 23, 24 और 25 फरवरी, 2022 को इसकी तीन उपसमितियों एससी1, एससी2 और एससी3 में भाग लिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन बैठकों में भाग लिया और विकसित किए जा रहे आईएसओ मानकों से जुड़े अपने विचार रखे। भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएसओ 4354 'बिंड एक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स' के संशोधन के संबंध में अपना योगदान करने का भी प्रस्ताव रखा।
- 4.6 सौर उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों के संबंध में एक बैठक 04 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई। 8 फरवरी, 2022 को 'एक राष्ट्र एक मानक' पर एक बैठक आयोजित की गई।
- 4.7 भारतीय मानक ब्यूरो ने 09 फरवरी, 2022 को 'इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेज' 'स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेज के संपूर्ण जीवन चक्र को शामिल किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय मानकों, विनियमों, परीक्षण और प्रमाणीकरण पर विशेष बल था।
- 4.8 भारतीय मानक ब्यूरो ने 11 फरवरी, 2022 को 'पेपर रिसाइक्लिंग' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य कागज के रिसाइक्लिंग से जुड़ी नवीनतम प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों से जुड़ी दीर्घकालिक कागज विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय लुगदी और कागज उद्योगों के बीच सर्वोत्तम प्रवृत्तियों को साझा करने को आसान बनाना था।
- 4.9 भारतीय मानक ब्यूरो के कार्मिकों ने गुणवत्ता अवसंरचना के संबंध में 8वीं भारत जर्मन वार्षिक बैठक में भाग लिया जिसका आयोजन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट एक्शन (बीएमडब्ल्यूके) जर्मनी सरकार और उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने किया था और 16 फरवरी, 2022 को भारतीय पक्ष से सचिव (उपभोक्ता मामले) जिसके अध्यक्ष थे।
- 4.10 अनिवार्य पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत फरवरी, 2022 के महीने में 671 नए पंजीकरण जारी के गए, 1192 समावेशन और 292 नवीनीकरण पूरे किए गए। महीने के दौरान संचालित पंजीकरणों की संख्या 19798 थी।
- 4.11 हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत, 1178 नए ज्वेलर्स पंजीकृत किए गए हैं और माह के दौरान 38 नए ए एंड एच केंद्रों को मान्यता दी गई।

4.12 आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस अवधि के दौरान स्व-सहायता समूहों और इसी प्रकार के अन्य निकायों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम, होलमार्किंग के संबंध में एक वेबिनार तथा स्कूलों/कॉलेजों में मानक क्लब गतिविधि के संबंध में पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5. विधिक माप विज्ञान

5.1 फरवरी, 2022 माह में 11 फरवरी, 2022 को विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने समय प्रसार की स्थिति के संबंध में पणधारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जिसमें भारत में समय प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में एनपीएल और इसरो के साथ अनुवर्तन करने में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। परियोजना की अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में सचिव (उपभोक्ता मामले) ने हाल ही में एनपीएल का दौरा किया।

5.2 उद्योग संघों और उद्योग-जगत के साथ विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 को अपराधमुक्त बनाने के लिए 11 फरवरी, 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। संघों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखते हुए विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 को अपराधमुक्त बनाने के लिए अपनी टिप्पणी लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उनके विधिक माप विज्ञान प्रभागों के साथ अगली बैठक भविष्य में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

6. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

6.1 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सेंसोडाइन उत्पाद के भ्रामक विज्ञापन के संबंध में इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने दिनांक 09.02.2022 के आदेश के तहत कंपनी को अपने विज्ञापनों, जिनमें दिखाया गया था कि भारत के बाहर प्रैक्टिस करने वाले दंत चिकित्सक उत्पाद का समर्थन करते हैं, को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21(1) की शर्तों के अधीन 7 दिनों के अंदर वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी ने आदेश का अनुपालन करते हुए सभी मीडिया से उक्त भ्रामक विज्ञापन वापिस ले लिए।

6.2 एक अन्य स्वतः संज्ञान मामले में, सीसीपीए ने अपने दिनांक 09.02.2022 के आदेश द्वारा, नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड को “2 गोल्ड ज्वेलरी के सेट”, “नैनेटिक नी सपोर्ट” और “एक्यूप्रेशर योगा स्लीपर्स” के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना देने, तथा उनका प्रसारण बंद करने और उत्पादों की वास्तविक स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित किए बिना उत्पादों की कृत्रिम कमी दिखाने और उत्पादों की सही स्थिति के बारे में नहीं बताने की प्रथा बंद करने का निर्देश दिया। उन्हें उनके चैनल /प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया गया कि यह पहले से रिकॉर्डेड एपिसोड है। कंपनी ने उक्त भ्रामक विज्ञापनों को चैनल से वापिस लेकर और अर्थदंड भरकर आदेश का अनुपालन किया।

7. स्वच्छता पखवाड़ा उत्सव

7.1 विभाग ने 16 से 28 फरवरी, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। 16 फरवरी, 2022 को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। कागज के कचरे, प्लास्टिक के कचरे और ई-कचरे के पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए एक विशिष्ट स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। विभागीय अभिलेख कक्ष सहित

विभिन्न प्रभागों में पुराने अभिलेखों की समीक्षा और वीडिंग आउट किया गया। स्वच्छता के संबंध में विभिन्न प्रभागों/अनुभागों का निरीक्षण किया गया और निर्णय लिया गया। विभाग के कर्मचारियों के लिए 23 फरवरी, 2022 को 'स्वच्छ भारत' थीम पर एक निबंध लेखन एवं कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई।

7.2 भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची तथा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं ने भी विभिन्न क्रियाकलापों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।

8 एसीसी निर्देश: सुश्री रूपा दत्ता को कार्यमुक्त होने के बाद वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है। इस पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस पद को भरा जाना चाहिए। अतः, विभाग के पास कोई एसीसी निर्देश लंबित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – एक माह के रुझान :

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा मुख्य रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक आधार पर दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 179 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा जनवरी, 2022 की तुलना में फरवरी, 2022 के महीने के लिए संकलित किए गए औसत खुदरा मूल्य का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	फरवरी, 2022 (नवीनतम)	जनवरी, 2021 (विगत माह)	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	36	35	1
2	गेहूं	28	28	0
3	आटा	32	31	1
4	चना दाल	75	75	0
5	तूर दाल	103	102	1
6	उड़द दाल	106	106	0
7	मूंग दाल	102	102	0
8	मसूर दाल	97	97	0
9	चीनी	41	41	0
10	दूध (प्रति लीटर)	50	50	0
11	मूँगफली का तेल	179	180	-1
12	सरसों का तेल	189	185	4
13	वनस्पति	141	138	3
14	सोया तेल	148	148	0
15	सूरजमुखी का तेल	162	162	0
16	पॉम ऑयल	131	128	3
17	गुड़	48	48	0
18	खुली चाय	287	287	0
19	नमक का पैक	19	19	0
20	आलू	20	21	-1
21	प्याज	35	35	0
22	टमाटर	27	35	-8

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग